मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमॉक / बी–11–3 / 2013 / 14–2 भोपाल, दिनॉक 19 नवम्बर 2015

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश।

विषयः–राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत रबी 2015–16 मौसम की फसल बीमा हेतु अऋणी किसानों को लाभ दिलाये जाने हेतु अभियान बाबत्।

--

राज्य में किसानों के हितार्थ शासन व्दारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। किन्तु प्रदेश में 1% से भी कम राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) के बीमित किसान अऋणी हैं । रबी 2015–16 मौसम हेतु शासन व्दारा अधिसूचित फसलों एवं अधिसूचित क्षेत्रों की सूची हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

अतः कृपया उक्त योजना का लाभ अऋणी कृषकों को दिलाने हेतु अभियान के रूप में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये तथा अधिक से अधिक अऋणी कृषकों को इस योजना से जोड़ा जावे । दिनांक 16.11.2015 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति में निर्णय लिया गया कि समस्त बैंक शाखाओं द्वारा अऋणी किसानों से राजस्व अभिलेख एवं Sowing Certificate (बोनी प्रमाण–पत्र) प्राप्त कर प्रीमियम जमा कराने तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) से जोड़ने की कार्यवाही की जावेगी । जिला स्तरीय बैंकर्स समिति में उक्त की व्यवस्था कराए जाने के लिए आवश्यक कदम उठावें । राज्य सरकार द्वारा अऋणी किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) से जोड़ने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है । राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) अंतर्गत अऋणी किसानों के लिए प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2015 है । कृपया उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ।

(डॉ. राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

........2 / –

क्रमॉक / बी–11–3 / 2013 / 14–2 भोपाल, दिनॉक 19 नवम्बर 2015

प्रतिलिपि–

1. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. आयुक्त, संस्थागत वित्त, विंध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ कृपया इस बाबत् बैंक शाखाओं को निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि Agriculture Insurance Company India Limited (AICIL) को जानकारी भेजें ।
4. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त कार्यालय, मोतीमहल, ग्वालियर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म0प्र0 भोपाल ।
7. आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, म0प्र0 भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, भोपाल।
9. उप महाप्रबंधक, एस.एल.बी.सी. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, अरेरा हिल्स भोपाल।
10. क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी, भोपाल।
11. समस्त संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभागीय कार्यालय ।
12. समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला कार्यालय।
13. समस्त परियोजना संचालक (आत्मा) जिला कार्यालय ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमॉक/बी–11–3/2013/14–2 भोपाल, दिनॉक 19 नवम्बर 2015

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश।

विषयः–राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत रबी 2015–16 मौसम की फसल बीमा हेतु जारी अधिसूचना में अधिसूचित पटवारी हल्कों की सूची का परीक्षण करने तथा यदि सुधार का प्रस्ताव हो तो शीघ्र प्रेषित् करने बाबत्।

राज्य में किसानों के हितार्थ शासन व्दारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। रबी 2015–16 मौसम हेतु शासन व्दारा अधिसूचित फसलों एवं अधिसूचित क्षेत्रों की सूची हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है, जिसे शासन की बेवसाइट http://govtpressmp.nic.in पर जाकर, राजपत्र में क्लिक कर असाधारण राजपत्र में देखा जा सकता है।

आपसे अनुरोध है कि अपने जिले की फसल बीमा हेतु जारी अधिसूचना का परीक्षण कर लें। यदि कोई संशोधन हो तो, केवल संशोधित जानकारी ही निर्धारित प्रारूप में शीघ्रातिशीघ्र 15 दिवस में आयुक्त, भू–अभिलेख ग्वालियर को उपलब्ध करावें, ताकि संशोधित अधिसूचना जारी कर किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके । विलंब से प्राप्त संशोधन की अधिसूचना प्रकाशन संभव नहीं हो सकेगा ।

कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(डॉ. राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमॉक/बी–11–3/2013/14–2 भोपाल, दिनॉक 19 नवम्बर 2015

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त कार्यालय, मोतीमहल, ग्वालियर।
2. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म0प्र0 भोपाल ।
3 प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, भोपाल।
4. उप महाप्रबंधक, एस.एल.बी.सी. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, अरेरा हिल्स भोपाल।
5. क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी, भोपाल।
6. समस्त संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभागीय कार्यालय ।
7. समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला कार्यालय।
8. समस्त परियोजना संचालक (आत्मा) जिला कार्यालय।

प्रमुख सचिव 19/11
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग